

2832456/2022/ESTABLISHMENT-II

भारत सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्थापना-॥

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 27/09/2022

परिपत्र

**विषयः** संविदा आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में परामर्शदाता की नियुक्ति।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संविदा आधार पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। परामर्शदाता की तैनाती स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के G-20 सचिवालय में होगी। परामर्शदाता की नियुक्ति से संबंधित विस्तृत नियमें व शर्तें संलग्न हैं। योग्यता-मानदण्ड व अन्य विवरण निम्न प्रकार से हैं:

1.	संविदा आधार पर नियुक्त किए जाने वाले परामर्शदाता की संख्या	16
2.	आयु सीमा	आवेदन की तारीख को अधिकतम 62 वर्ष
3.	कार्यस्थल	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4.	संविदा की अवधि	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 29-24-2024 त
5.	पात्रता	अनुबंध के अनुसार
6.	कार्यभार	

.2इच्छुक व्यक्ति जो तत्काल रूप से पद को संभालने की स्थिति में हैं वे इस परिपत्र के जारी होने के चार सप्ताह के अंदर संबंधित दस्तावेजों (PPO) के साथ संलग्न प्रारूप में अपना विवरण (अवर सचिव (प्रशासन), कमरा नंबर330- 'सीविंग-' , निर्माण भवन" को संबोधित करते हुए "सी.आर. अनुभाग, गेट नंबर6 - , ग्राउंड फ्लोर, निर्माण भवन, नई दिल्ली" में जमा करा दें।

3. हिंदी अनुवाद में किसी भी विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण का पालन किया जाएगा।

Digitally Signed by K  
Venkatesan  
Date: 27-09-2022 12:46:02  
Reason: Approved  
(के.)

वेंकटेशन)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफैक्स: 23061323

1. विभाग की वेबसाइट में परिपत्र के प्रकाशन हेतु एन.आई.सी. को प्रतिलिपि
2. ईऑफिस नोटिस बोर्ड ई-ऑफिस-
3. नोटिस बोर्ड

## अनुलग्नक-।

कार्य:	पदों की संख्या / पात्रता
ए. G20 सचिवालय में पद संभालने के लिए पद की आवश्यकता होती है, जो भारत के आगामी G20 प्रेसीडेंसी के लिए आवश्यक समग्र नीतिगत निर्णयों और व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा।	4 सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी
बी. सचिवालय के उत्तरदायित्वों में G20 शिखर सम्मेलन के लिए विषय, परिणाम और फोकस क्षेत्र विकसित करना, एजेंडा-सेटिंग और मुद्रे नोट तैयार करना, मसौदा परिणाम दस्तावेज और रिपोर्ट तैयार करना, अंतर-मंत्रालयी समन्वय, पिछले G20 राष्ट्रपतियों के अनुभव का अध्ययन और G20 के साथ समन्वय शामिल हैं। ट्रैक, कार्य समूह, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सहभागिता समूह और ज्ञान भागीदार और ज्ञान भागीदार, और G20 बैठकों और कार्यक्रमों का संगठन।	6 सेवानिवृत्त सहायक अनुभाग अधिकारी
सी. वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई भी कार्य.	
ए. श्रुतलेख लेना/प्रतिलेखन करना, टेलीफोन कॉलों को संभालना, आगंतुकों को प्राप्त करना, दौरे कार्यक्रम/यात्रा की व्यवस्था करना, अधिकारी द्वारा अपने पास रखने के लिए आवश्यक कागजात को बनाए रखना और सगाई की डायरी को बनाए रखना आदि।	1 सेवानिवृत्त PPS
बी. गोपनीय और गुप्त पत्रों/डाक/फाइलों को संभालना, संसदीय कार्य संभालना, सूचना की सुरक्षा, बैठकों/सम्मेलनों को सुविधाजनक बनाना.	2 सेवानिवृत्त PS
सी. वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई भी कार्य.	3 सेवानिवृत्त PA

अनुलग्नक-॥

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु नियम व शर्तेः-

1	परामर्शदाता को नियंत्रण अधिकारी द्वारा सौंपे जाने वाले कार्यों को करना होगा।
2	सामान्य कार्यालयी घंटे सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः बजे तक होंगे 5.30 बजे से सायं 9.00 मिनट का लंच ब्रेक होगा। 30 बजे तक 1.30 बजे से 1.00 जिसमें अपराह्न
3	परामर्शदाता एक वर्ष की नियुक्ति अवधि के दौरान सेवा के हर पूरे महीने के लिए 1.5 दिन की छुट्टी का हकदार होगा जिसके लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।
4	विशेष परिस्थितियों में परामर्शदाता को छुट्टियों में कार्य के लिए बुलाया जा सकता है या , सामान्य कार्यालयी घंटों से अधिक समय के लिए रोका जा सकता है।
5	संविदात्मक नियुक्ति अधिकतम एक वर्ष के लिए है जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।
6	परामर्शदाता को समेकित पारिश्रमिक का भुगतान टीडीएस आदि के अधीन पेंशन को घटाकर अंतिम लिए गए वेतन के फार्मूले के अनुसार किया जाएगा। माह में किए जाने वाले कार्य के पारिश्रमिक का भुगतान अगले माह में किया जाएगा। कार्यालयी दौरे करने पर टीएडीए को / डीए पात्रता वही होगी जिसके लिए वे / छोड़कर अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा। टीए सेवानिवृत्त होते समय पात्र थे।
7	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास परामर्शदाता की सेवाओं की जांचसमीक्षा करने / का अधिकार होगा।
8	वह अपने दायित्वों को पूरे कौशलक्षमता व किफायत के साथ करेंगे। , परिश्रम ,
9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उन्हें कोई भी चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। पारिश्रमिक में चिकित्सा संबंधी लागत को कवर किया माना जाता हैयदि कोई हो। ,
10	मंत्रालय यात्रा सहित उन्हें कार्य करते समय या उसके अलावा होने वाली किसी भी हानि , क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।/नुकसान , दुर्घटना
11	सेवाकाल के दौरानवो किसी भी व्यावसायिक के कार्यकलाप के निजी व्यापार में शामिल , नहीं होंगे जो सरकार से हित का टकराव पैदा करें।
12	वह सभी सरकारी जानकारी को गोपनीय रखेंगे और उपर्युक्त का उपयोग केवल कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य हेतु ही करेंगे।
13	सेवा को किसी भी पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस दिए जाने के द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में परामर्शदाता की  
नियुक्ति हेतु आवेदन प्रारूप

नाम:

--

पिता का नाम:

जन्म तिथि:

आधार सं:

सेवानिवृत्त की तारीख:

अंतिम कार्यालय का नाम:

अंतिम पदनाम:

अंतिम आहरित वेतन:

पेंशन:

दूरभाष सं:

मोबाइल नंबर:

ईमेल आईडी:-

मेलिंग पता:

स्थायी पता:

शैक्षिक अर्हता:

कार्य अनुभव (यदि आवश्यकता हो , अलग से पेपर लगाएं)

संगठनसंस्थान/	अवधि		कार्य की प्रकृति	टिप्पणियां
	कब से	कब तक		

(हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक: